### हरियाणा सरकार

### उद्यान विभाग अधिसूचना

### दिनांक 3 जुलाई, 1998

संख्या सा.का.नि. 8/सिव./अनुच्छेद 309/98.--भारत के सिवधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, हिरयाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हिरयाणा उद्यान विभाग अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय अमला (ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित सेवा नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

#### भाग । - -सामान्य

### संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

- ।. (i) ये नियम हरियाणा उद्यान विभाग अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय अमला (मृप-ग) सेवा नियम, 1998, कहे जा सकते हैं ।
  - (ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशत की तिथि से लाग होंगे ।

#### परिभाषाएं :

- 2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
  - (क) "अयोग" से अभिप्राय है, कर्मचारी चयन अयोग, हरियाणा ;
  - (ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी व्यक्ति जो सेवा में से पदोन्नित या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;
  - (ग) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, उद्यान विभाग, हरियाणा;
  - (घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;
  - (ङ) "संस्था" से अभिप्राय है,--
    - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था, या
    - (ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;
  - (च) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,--
    - (i) भारत में विधि द्वारा नियमित कोई विश्वविद्यालय; या

- (ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई, परीक्षा के परिणास्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत्र (डिप्लोमा), या प्रमाण-पत्र की दशा में पंजाब, सिंध या ढाका विश्वविधालय; या
- (iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो, और
- (छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा उद्यान विभाग, अधीनस्थ कार्यलय लिपिकीय (ग्रुप ग) सेवा ।

### भाग ।। - - सेवा में भर्ती

### पदों की संख्या तथा स्वरूप :

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में बताये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

# सेवा में नियुक्त उम्मीदवार की राष्ट्रियता, अधिवास तथा चरित्र :

- 4. (।) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,--
  - (क) भारत का नागरिक; या
  - (ख) नेपाल की प्रजा; या
  - (ग) भूटान की प्रजा; या
  - (घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशप से आया हो ; या
  - (ड) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप में बसने के आशय से आया हो:

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) प्रवर्गी से संबंधित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ।

- (2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, उसे आयोग द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविश्वविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चिरत्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भती-भौति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

#### आयु :

5. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयोग को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को सत्रह वर्ष से कम या पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक का हो:

परन्तु अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गी, अन्य पिछड़े वर्गी, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की दशा में, उपरी आयु सीमा वही होगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

### नियुक्ति प्राधिकारी:

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां निदेशक द्वारा की जायेंगी ।

### योग्यताएं :

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर, तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में, पूर्वीक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्ताएं तथा अनुभव न रखता हो:

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में, यदि अनुभव संबंधी योग्यताओं में आयोग के विवेक पर, पचास प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गी, अन्य पिछड़े वर्गी, भृतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रविगों में उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जायेंगे।

#### अयोग्यताएं :

- 8. कोई भी व्यक्ति, --
  - (क) जिसने जीवित पित/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है, या विवाह की संविदा कर ली है; या
  - (ख) जिसने पित/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

#### भती का ढंग :

- 9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी:--
  - (क) उप-अधिक्षक, की दशा में,--
    - (i) लेखाकारों या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नित द्वारा ; या
    - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
  - (ख) लेखाकार की दशा में,--
    - (i) आशुटंककों या लिपिकों में से पदोन्नित द्वारा; या
    - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगेकिसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
  - (ग) आशुटंकक की दशा में,--
    - (1) लिपिकों में से पदोन्नित द्वारा; या
    - (ii) सीधी भर्ती द्वारा; या
    - (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

#### (घ) लिपिक की दशा में, --

- (i) 20 प्रतिशत अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत सेवादारों, चौकीदारों या मालियों में से पदोन्नित द्वारा ; या
- (ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
- (2) जब कभी सेवा में कोई रिक्ति होती है या होने वाली हो तो नियुक्ति प्राधिकारी जब तक इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय यह निधारित करेगा कि ऐसी रिक्ति किस ढंग से भरी जायेगी।
- (3) सभी पदोन्नितयां ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नितयों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

#### परिवीक्षा :

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए, और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा:

#### परन्तु,-

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद, किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर, किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है; और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अविध परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अविध के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है परिवीक्षा की विहित अविध के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,—
  - (क) यदि ऐसा व्यक्ति, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और
  - (ख) यदि ऐसा व्यक्ति, सीधी भर्ती से अन्यथा नियक्त किया गया हो तो, --
    - (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है: या
    - (ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्ती अनुज्ञात करें।
  - (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, --
    - (क) यदि उसकी राय में, उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,--
      - (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
      - (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट का सकता है; या
      - (iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अविध संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या
  - (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,--
    - (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति से कार्रवाई का सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा भर्ते अनुज्ञात करें; या
    - (ii) उसकी परिवीक्षा अविध बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अविध की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । ज्येष्ठता :

 सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी:

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग

निश्चित की जायेगी:

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और िक एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी,—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नित या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ख) पदोन्नित द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ग) पदोन्नित अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनमें वे पदोन्नित या स्थानान्तरित किये गये थे; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

#### सेवा करने का दायित्व :

- 12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए, आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।
- (2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,--
  - (i) कोई कंपनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के

Se.

- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा गैर सरकारी निकाय; या
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय जिसका नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय:

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को, उसकी सहमित के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रति नियुक्त नहीं किया जायेगा।

### वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले :

13. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जाएं।

### अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें :

14 (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा-संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं ।

#### टीका लगवाना:

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा, ऐसा निदेश करे, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा ।

#### राजनिष्ठा की अपयः

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की भाष्य न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

### ढील देने की शाक्तिः

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

#### विशेष उपबन्धः

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्ते लगाना उचित समझें, तो वह ऐसा कर सकता है ।

#### आरक्षण :

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गी, अन्य पिछड़े वर्गी, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा :

परन्तु इस प्रकार से किए गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

### निरसन तथा व्यावृत्तिः

20. पंजाब अधीनस्थ कृषि सेवा नियम, 1933, और सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पहले लागू हों, इसके द्वारा, निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

## परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम	पदनाम	पदों की संख्या		<del></del> या	वेतनमान	
संख्य		स्थायी	स्थायी अस्थायी			
1	2	3	4	5	6	
1	उप - अधीक्षक		2	2	5450 — 1506950 — दक्षतारोध - 1508000 रुपए	
2	लेखाकार	• •	17	17	5000 — 150 — 7100 — दक्षतारोध - 1507850 रुपए	
3	आशुटंकक	<del>-</del>	21	21	3050 — 75 — 3950 — दक्षतारोध - 80 4590 <del>+</del> 100 रुपए विशेष वेतन	
4	लिपिक	5	26 ·	31	3050 — 75 — 3950 — दक्षतारोध - 80 — 4590 रुपए	

### परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम पदनाम संख्या	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव,	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
	यदि कोई हो	
1 2	3	4

। उप-अधीक्षक

लेखाकार

2

#### पदोन्नित द्वारा :

(i) लेखाकार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव, जिसमें अपने कृत्यों के अतिरिक्त लेखाकार के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव शामिल होना चाहिए।

### स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा :

- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में उप-अधीक्षक के पद पर पहले से कार्यरत कोई कर्मचारी;
- (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।

#### पदोन्नित द्वारा :

(i) आशुदंकक या लिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।

### स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा :

- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में लेखाकार के पद पर पहले से ही कार्यरत कोई कर्मचारी;
- (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

2

लिपिक

3

4

- 3 आशुदंकक (i) दसवीं या इसके समकक्ष ;
  - (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;
  - (iii) 64 शब्द प्रतिमिनट की गित से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रतिमिनट की गित से उसका प्रति-लेखन, या 80 शब्द प्रतिमिनट की गित से अंग्रेजी आशु-लिपि तथा 20 शब्द प्रतिमिनट की गित से उसका प्रतिनेट की गित से उसका प्रतिलेखन । अशुद्धियां 8 प्रतिशत से अधिक अनुज्ञात नहीं होंगी।

#### पदोन्नति द्वारा :

- (i) लिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव;
- (ii) 64 शब्द प्रतिमिनट की गित से हिन्दी आशुलिप तथा 15 शब्द प्रतिमिनट की गित से उसका प्रतिलेखन की आशुटंकक में परीक्षा पास करनी अपेक्षित होगी ; या 80 शब्द प्रतिमिनट की गित से अंग्रेजी में आशुलिप तथा 20 शब्द प्रतिमिनट की गित से उसका प्रतिलेखन, अशुद्धियां 8 प्रतिशत से अधिक अनुज्ञात नहीं होंगी।

# स्थानान्तरष या प्रतिनियुक्ति द्वारा :

- (i) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में आशुदंकक के रूप में पहले से ही कार्यरत कोई कर्मचारी ;
- (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।

### (i) दसवीं या इसके समकक्ष,

- (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान.
- (iii) ऐसी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर हिन्दी या अंग्रेजी में क्रमश:25 या 30 शब्द प्रतिमिनट की गति से टाईप टैस्ट पास करना अपेक्षित है और जब तक

#### पदोन्नति द्वारा :

- (i) मैट्रिक या इसके समकक्ष,
- (ii) सेवादार, चौकीदार या माली के रूप में पांच वर्ष का अनुभव,
- (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान,
- (iv) निदेशक द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी में परीक्षा पास करनी होगी,
- (v) ऐसी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अविध के भीतर हिन्दी या अंग्रेजी में

ြဉ်

3.

4

वह टाईप टैस्ट पास
नहीं करता तब तक
उसे वार्षिक वेतन वृद्धि
नहीं दी जायेगी ।
ऐसे भूतपूर्व सैनिक
जो 45 वर्ष या
इससे अधिक आयु होने
पर सेवा में भर्ती किये
गये हों, उनको इस
टाईप टैस्ट से छूट होगी।

क्रमशः 25 या 30 शब्द प्रतिमिनट की गित से टाईप टैस्ट पास करना अपेक्षित है और जब तक वह टाईप टैस्ट पास नहीं करता तब तक उसे वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी ।

### स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा :

- (i) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में लिपिक के पद पर पहले से ही कार्यरत कोई कर्मचारी,
- (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ,
- (iii) निदेशक द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी में परीक्षा पास करनी होगी।

### परिशिष्ट ग

******			$\left[\left(\stackrel{\cdot}{द} \right] \left(\stackrel{\cdot}{q} \right) \left( \stackrel{\cdot}{q} \right) \left( \stackrel{\cdot}{q} \right) \right]$		
क्रम संख	ा पदनाम या	नियुक्ति इ प्राधिकारी	ग़ास्ति का स्वरूप	शास्ति लग के लिए सशक्त प्रापि	प्राधिकारी
I 	2	3	4	5	6
2	उप - अधीक्षक लेखाकार	निदेशक (i	छोटी <b>शास्तियां</b> ) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए	निदेशक	सरकार
3	आशुटंकक लिपिक	(ii	चेतावनी ; ) परिनिन्दा ;		
			) पदोन्निति रोकना ;		
		(iv	) आदेशों की अपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय		
	· ·		सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कंपनी, संगम या		
	• · · ·	•	व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं		
			जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या	•	
,			किसी राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित	•	

किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन संबंधी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन

से वसूली ;

1 2 3 4 5 6

- (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना।
- (2) बड़ी गास्तियां --
- (vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना ;
- (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयपान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनित ऐसे अति-रिक्त निदेशों सिहत कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनित की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनित उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थिगत करने का प्रभाव रखेंगी या नहीं;
- (viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनित जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नित के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.), JAN. 27, 1999 (MAGH 7, 1920 SAKA)

2 3 4 5

बारे में शर्ती संबंधी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उसके बिना होगा ; 6

- (ix) अनिवार्य सेवा निवृति ;
- (x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;
- (xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीनभावी नियोजन के लिए सामान्यतःनिरर्हता होगी ।

### परिशिष्ट घ

# [ देखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
2 3	उप- अधीक्षक लेखाकार आशुदंकक	निदेशक	(i) पैंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना ;	निदेशक	सरकार
4.	लिपिक		<ul><li>(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत अयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।</li></ul>		

नसीम अहमद, सचिव, हरियाणा सरकार, उद्यान विभाग, चंडीगढ़।

#### HARYANA GOVERNMENT

#### HORTICULTURE DEPARTMENT

#### Notification

#### The 13th July, 1998

No. G.S.R. 8/Const./Art. 309/98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Horticulture Department, Subordinate Offices, Ministerial Staff (Group C) Service, namely:—

#### PART I -- GENERAL

### Short title and commencement :

- 1. (1) These rules may be called the Haryana Horticulture Department, Subordinate Offices, Ministerial Staff (Group C) Service Rules, 1998.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

#### Definitions :

- 2. In these rules, unless the context otherwise requires, --
- (a) "Commission" means the Staff Selection Commission, Haryana;
- (b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;
- (c) "Director" means the Director of Horticulture, Haryana;
- (d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;
- (e) "institution" means,--
  - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
  - (ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules ;
- (f) "recognised university" means, --
  - (i) any University incorporated by law in India; or

- (ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or
- (iii) any other university which is declared by Government to be a recognised university for the purpose of these rules;
- (g) "Service" means the Haryana Horticulture Department Subordinate Offices Ministerial Staff (Group C) Service.

PART II--RECRUITMENT OF SERVICE

### Number and character of posts :

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service :

- 4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,—
  - (a) a citizen of India; or
  - (b) a subject of Nepal; or
  - (c) a subject of Bhutan or
  - (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
  - (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

- (2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment shall be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.
- (3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the University, College, School or Institution last attended, if any and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his University, College, School or Institution.

#### Age :

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than thirty-five years of age on the last date of submission of application to the Commission:

Provided that in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, other Backward Classes, ex-servicemen and Physically Handicapped persons, the upper age limit shall be such as may be fixed by Government from time to time.

#### Appointing Authority:

6. Appointment to the posts in the Service shall be made by the Director.

#### Qualifications:

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience as specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment, and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment:

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50 per cent at the discretion of the Commission in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically Handicapped categories possessing

the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

#### Disqualifications:

- 8. No person, --
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

#### Method of recruitment :

- 9. (1) Recruitment to the Service shall be made, --
- (a) in the case of Deputy Superintendent, --
  - (i) by promotion from amongst Accountants or Senior Scale Stenographers; or
  - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India.
- (b) in the case of Accountant .--
  - (i) by promotion from amongst Steno-Typists or Clerks;
  - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India.
- (c) in the case of Steno-Typist, --
  - (i) by promotion from amongst Clerks; or
  - (ii) by direct recruitment; or
  - (iii) by transfer or deputation of an official already in the Service of any State Government of Government of India:

The property of the property o

#### (d) in case of Clerk, --

- (i) 20% by promotion from amongst Peons, Chowkidars or Malies working in the subordinate offices;
- (ii) 80% by direct recruitment ; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India.
- (2) When any vacancy occurs or is about to occur in the service, the appointing authority shall, unless otherwise specifically provided for in these rules, determine as to in what manner such vacancy shall be filled in.
- (3) All promotions shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotion.

#### Probation:

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise.

Provided that, --

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confimed, unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,--
  - (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his Services; and

- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,--
  - (i) revert him to his former post; or
  - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.
- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,--
  - (a) if his work or conduct has, in its opinion been satisfactory,--
    - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy;
    - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
    - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
  - (b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,--
    - (i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit; or
    - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

#### Seniority:

11. Seniority, inter se of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the service :

Provided that where there are different cadres in the service, the seniority shall be determined separately for cach cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:--

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same then by the length of their Service in the appointments and if the length of such Service in also the same, the older member shall be senior to the younger member.

#### Liability to serve :

- 12.(1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.
- (2) A member of the Service may also be deputed to serve under:--
  - (i) a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana;
  - (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clauses (ii) or (iii), except with his consent.

### Pay, leave, pension and other matters:

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

### Discipline, penalties and appeals :

14.(1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall subject to the provisions or any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule(1) or rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and the appeallate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

#### Vaccination :

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated, as and when Government so directs by a special or general order.

### Oath of allegliance :

16. Every member of the Service shall unless he has already done so, be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

#### Power of relaxation :

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

#### Special provision :

18. Notwithstanding any thing contained in these rules, appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

#### Reservations:

Nothing contained in these rules shall reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, other Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time:

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed 50% at any time.

### Repeal and savings :

20. The Punjab Subordinate Agricultural Services Rules, and any other rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules, which is in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

#### APPENDIX A

(See rule 3)

Sr.	Designation of	Numbe	er of Posts	Scale of Pay			
No.	Post	Permanent	Temporary	Total	•		
1	2	3	4	5	6		
1.	Deputy Superintendent	<b></b>	2	2	5,450-150-6,950-EB-150- 8,000		
	Accountant	no de	17	17	5,000-150-7,100-EB-150- 7,850		
١.	Steno-Typist	due the	21	21	3,050-75-3,950-EB-80- 4,590+100 Special Pay		
•	Clerk	5	26	31	3,050-75-3,950-EB-80- 4,590		

#### APPENDIX-B

(See rule 7)

Sr. Designation No. of Post

Academic qualifications Academic qualifications and experience, and experience, if any, if any, for appointment other than by for direct recruitment direct recruitment

1

3

ī. Deputy Superintendent

2. Accountant

2

#### BY PROMOTION --

5 years experience as Accountant or 5 years experience as Senior Scale Stenographer which should include a minimum of 2 years experience as Accountant in addition to his own duties.

#### BY TRANSFER OR DEPUTATION --

- (i) An official already working on the post of Deputy Superintendent in the service of any State Government or Government of India;
- (ii) Hindi upto Matric standard. BY PROMOTION --

5 years experience as Steno-Typist or Clerk.

#### BY TRANSFER OR DEPUTATION --

- (i) An official already working on the post of Accountant in the service of any State Government or Government of India;
- (ii) Hindi upto Matric standard.

#### BY PROMOTION --

- Steno-Typist (i) Matric or its 3. equivalent;
  - (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard;
  - (iii) Speed in Hindi shorthand at 64 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute.
- (i) two years experience as Clerk.
- (ii) required to pass the Stenography test in Hindi shorthand at 64 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute.

2

1

3

OR

ÓR

Speed in English shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute. Mistakes should not exceed 8 per cent.

English shorthand test at 80 words per minute and transcription there of at 20 words per minute, mistakes should not exceed 8 per cent.

#### BY TRANSFER OR DEPUTATION --

- (i) An offical already working as Steno-typist in the service of any State Government or Government of India;
- (ii) Hindi upto Matric standard;

#### Clerk

- (i) Matric or its equivalent:
- (ii) Knowledge of Hindi (ii) upto Matric standard;
- (iii) required to quallify: (iii) Hindi upto Matric standard; a test of Hindi or English typing at a speed of 25 or 30 words per minute within a period of one year from the date of such appointment and no increment shall be granted till this test is qualified. Exservicemen, who enter the service at or after the age of 45 years, shall be exempted from this test.

#### BY PROMOTION --

- (i) Matric or its equivalent;
- 5 years experience as Peon, Mali, Chowkidar;
- (iv) required to qualify a test in Hindi and English of Matric level to be held by Director:
- (v) required to qualify a test of Hindi or English typing at a speed of 25 or 30 words per minute within a period of one year from the date of such appointment; and no increment shall be granted till this test is qualified.

#### BY TRANSFER OR DEPUTATION--

- (i) An official already working on the post of Clerk in the service of State Government or Government of India.
- (ii) Hindi upto Matric standard;
- (iii) required to qualify a test in Hindi and English of Matric standard to be held by Director.

			APPENDIX C			
[See rule-14(1)]						
	Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority, empowered to impose penalty	Appeallate authority	
1	2	3	4	5	6	
			(1) Minor Penalt	ties		
1	Deputy Superintendent Accountant	Director	(i) Warning with copy on the personal fi (Character R	e le	Government	
3	Steno-Typist		(iii) withholding promotion;	of:		
4	Clerk		(iv) recovery frof the whole part of any pecuniary leaused by neor breach of to Central (ment or Statement or to a and associate body of indiwhether incompanded or not, which wholly or sure owned or conby the Gover to a local and or university by an act of ment or of the lature of a and	e or  oss gligence orders Govern- te Govern- company tion or a viduals orporated ch is bstantially trolled nment or uthority ty set up f Parlia- he Legis-		
			(v) withholding increments without cum	of pay		

effect;

1 2 3 4 5

- (2) Major Penalties--
- (vi) withholding of increments of pay with cumulative effect;
- (vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the reffect of postponing the future increments of his pay;
- (viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which the was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and

1	2	3	4	5	6
CONTRACTOR SERVICE	uga, mendata an nasa sacaj samunina den deletin de semblo proportado com de criado co		pay on such restoration		
			to that grade, post or		
			service;		
		( 1x)	compulsory retirement;		
		(x)	removal from service		
			which shall not be a		
			disqualification for		
			future employment under		
			the Government;		
		(xi)	dismissal from service		
			which shall ordinarily		
			be a disqualification		
			for future employment		
			under the Government.		

#### APPENDIX D

[See rule 14(2)]

Sr. No.	Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority emp to impose pen		Appellate authority
1	2	3	4	5		6
1	Deputy Superintendent	Director (	i) reducing withholdi amount or or additi pension ac under the governing pension;	ng the ordinary onal dmissible rules	or G	overnment
2	Accountant	(	ii) terminati	ng the		
}	Steno-Typist		appointme Wise than			
4	Clerk		attaining fixed for nnuation.	the age		

NASEEM AHMAD,

Secretary to Government, Haryana, Horticulture Department, Chandigarh.